


पुनरीक्षित पुनर्वास नीति

2012

जल संसाधन विभाग

झारखण्ड सरकार

राँची



जल संसाधन विभाग

विषय :- जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में भू-अर्जन से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु पुनरीक्षित नीति का निर्धारण।

अविभाजित बिहार राज्य में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप हुए विस्थापितों के पुनर्वास हेतु परिपत्र सं० 796 दिनांक 21.02.1981, सं० 3915 दिनांक 31.08.1988, सं० 1333 दिनांक 27/28.03.1989, सं० 645 दिनांक 11.12.1990, सं० 2086 दिनांक 01.10.1991, सं० 1212 दिनांक 18.09.1993 तथा सं० 262/आई० सी० दिनांक 12.11.1999 द्वारा विशेष मापदंड एवं प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। समय समय पर निर्गत उपर्युक्त दिशा निदेशों का एक स्थान पर संकलन एवं पिछले दो दशकों के अनुभव के आधार पर वर्ष 2003 में झारखण्ड सरकार, जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2003 पुनरीक्षित पुनर्वास नीति का निर्धारण किया गया। पुनः लगभग एक दशक में समाज में आये आर्थिक एवं समाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से "पुनर्वास नीति" में संशोधन आवश्यक हो गया है। अतः जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में भू-अर्जन से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु "पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012" का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है।

2.0 उद्देश्य

2.1 इस पुनर्वास नीति का उद्देश्य है कि विस्थापित परिवारों की पुनर्वास व्यवस्था इस प्रकार किया जाय, कि नये स्थान पर संक्रमण काल के पश्चात् अपने जीवन स्तर में वे सुधार करें या कम से कम अपना पूर्व जीवन स्तर प्राप्त करेंगे।

3.0 परिभाषाएँ

3.1 "विस्थापित" उन्हें माना जायेगा जो कि भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व से उस क्षेत्र में जिसका कि भू-अर्जन किया जा रहा है, में साधारणतया रहते रहे हों, एवं

(क) जिनका आवास जल-प्लावित (डूब) क्षेत्र में अथवा डूब क्षेत्र के बाहर अर्जित की गयी भूमि में पड़ता हो, अथवा

(ख) जिनके पास की आधा, या अधिक, भूमि, अर्जन के फलस्वरूप ढाई एकड़ या उससे कम सिंचित भूमि या साढ़े तीन एकड़ या उससे कम असिंचित भूमि शेष रह जाती हो, अथवा

(ग) भूमिहीन जो अपनी आजीविका अधिग्रहित की जा रही भूमि पर मजदूरी/स्वनियोजन/शिल्पकारी आदि कर निर्वाह कर रहे हैं एवं भू-अर्जन के पश्चात् गृह-विहीन एवं आजीविका विहीन जाएंगे।

3.2 क) "परिवार" में, विस्थापित व्यक्ति और उसके पति/उसकी पत्नी, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, अवयस्क भाई या अविवाहित बहन, माता पिता तथा अन्य सदस्य जो उसके साथ निवास करते हैं और आजीविका के लिए उस पर आश्रित हैं, सम्मिलित है।

- ख) प्रत्येक बालिग लड़के को एक अलग परिवार के रूप में माना जायेगा।
- ग) परिवार की पुत्री जो अन्यत्र विवाहित हो किन्तु परित्यक्ता अथवा विधवा हो एवं उसका पर्याप्त साक्ष्य हो तथा मायके के अतिरिक्त उसकी आजीविका का अन्य विकल्प नहीं हो, वैसी स्थिति में उसे भी स्वतंत्र इकाई माना जायेगा।
- घ) भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक जो विस्थापित व्यक्ति 18 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लिये हों उनको बालिग माना जायेगा। धारा-4 के तिथि को 18 वर्ष के उम्र का निर्धारण शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अनपढ़ की स्थिति में ग्राम पंचायत/नगर निगम के जन्म-मृत्यु के पंजी के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र को आधार मान कर की जायेगी।
- च) शारिरीक एवं मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति किसी भी उम्र या लिंग के हों (प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर) इस प्रावधान के तहत गूंगा/बहरा/अपंग/मानसिक रूप अपंग 40% से अधिक स्थायी रूप से अपंग व्यक्ति को स्वतंत्र इकाई माना जाएगा।
- छ) अवयस्क अनाथ (जिसका/जिसकी) माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है उसे भी स्वतंत्र इकाई माना जाएगा।
- 3.3 "भूमिहीन" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके स्वयं के पास कोई भी कृषि भूमि न हो तथा वे अधिग्रहित भूमि से जुड़े रोजगार/आजीविका पर आश्रित हों। भूमिहीन विस्थापितों की पहचान वोटर लिस्ट/राशन कार्ड/लाल कार्ड/मनेरगा के अन्तर्गत निर्गत जॉब कार्ड/अन्य सरकारी अभिलेख के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर अधिग्रहित क्षेत्र के भूमिहीन निवासी को मान्यता देते हुए भूमिहीन विस्थापित घोषित किया जा सकेगा।
- 3.4 "लघु" तथा "सीमान्त" कृषक से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जिसके पास क्रमशः दो हेक्टेयर व एक हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि न हो।
- 4.0 पुनर्वास संबंधी प्रावधान
- 4.1 पुनर्वास पदाधिकारी/अपर निदेशक, पुनर्वास एवं भू-अर्जन (सुवर्णरेखा परियोजना हेतु) द्वारा प्रत्येक विस्थापित परिवार के मुखिया को अभिप्रमाणित तरखीर के साथ विस्थापन पहचान पत्र (विस्थापित विकास पुस्तिका) दिया जायेगा जिसमें उनके परिवार का ब्योरा तथा विस्थापन के क्रम में उपलब्ध करायी गई सुविधाओं को निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया जाएगा एवं इस विवरणी को कम्प्यूटरिकृत रूप में कार्यालय में संधारित करने के साथ-साथ आम जनता को अवगत कराने हेतु Website पर भी डाला जाएगा।। प्रत्येक विस्थापित को विस्थापन पहचान पत्र (विस्थापित विकास पुस्तिका) में अपना पति-पत्नी का संयुक्त बैंक खाता संख्या एवं बैंक का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 4.2 किसी भी परियोजना में भू-अर्जन की प्रक्रिया समाप्त होने के छः माह की सीमा में विस्थापितों को पुनर्वास पैकेज की मूल सुविधाओं को उपलब्ध करा देने का लक्ष्य रहेगा। किसी परिस्थिति में यह कार्य छः महिने में समाप्त नहीं होने पर इसे जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

5.0 आवास अर्जित किये जाने से विस्थापित परिवारों को देय सुविधाएँ

5.1 आवास निर्माण के लिए भू-खण्ड

- क) विस्थापित परिवार जिनका आवास भू-अर्जन अन्तर्गत है को 12.50 डिसमिल भू-खण्ड चयनित पुनर्वास स्थल में निःशुल्क आबंटित किया जायेगा। यदि कोई विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल पर आवास के लिए भू-खण्ड नहीं लेना चाहते हैं तो उसके एवज में जमीन का मूल्य **रु० 2,00,000.00 (रुपये दो लाख मात्र)** देय होगा।
- ख) भूमिहीन विस्थापित परिवार को 5.0 डिसमिल भू-खण्ड चयनित पुनर्वास स्थल में निःशुल्क आबंटित किया जायेगा। यदि कोई भूमिहीन विस्थापित परिवार पुनर्वास स्थल पर आवास के लिए भू-खण्ड नहीं लेना चाहते हैं तो उन्हें एवज में जमीन के समानुपातिक **रु० 80,000.00 (रुपये अस्सी हजार मात्र)** देय होगा।
- ग) अन्तराल में इस भूमि की रजिस्ट्री आवंटियों के नाम से कर दी जायेगी। रजिस्ट्री का खर्च या तो सरकार माफ करेगी या इसका भुगतान सरकार/प्रोजेक्ट से किया जायेगा।

5.2 गृह निर्माण अनुदान

- क) विस्थापित परिवार जिनका आवास भू-अर्जन अन्तर्गत है को गृह निर्माण अनुदान के रूप में **रु० 1,50,000.00 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)** देय होगा।
- ख) भूमिहीन विस्थापित परिवार को गृह निर्माण अनुदान के रूप में **रु० 1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र)** देय होगा।

5.3 भू-अर्जन के अधीन आने वाले आवासों के मालिक अपना आवास तोड़कर उसका सारा सामान जहाँ वे बसना चाहते हैं, ले जा सकेंगे। मुआवजे की राशि पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

5.4 परिवहन अनुदान

आवास अर्जित किये जाने से विस्थापित प्रत्येक परिवार को **रु० 10,000.00 (रु० दस हजार मात्र)** परिवहन अनुदान नये बसाहट के स्थान पर जाने हेतु देय होगा।

5.5 पुनर्वास स्थल

पुनर्वास स्थलों का चयन ऐसे स्थान पर किया जाएगा जहाँ विस्थापितों को केवल व्यक्तिगत रूप में नहीं बल्कि यथासंभव सामुदायिक रूप से बसाया जा सके। प्रत्येक पुनर्वास स्थल पर मापदंड के अनुसार न्यूनतम आधारभूत सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेंगी तथा

- क) प्राथमिक विद्यालय
- ख) स्वास्थ्य केन्द्र
- ग) पेयजल की सुविधा अन्तर्गत कुँआ एवं चापाकल (प्रत्येक 50 परिवार पर एक)
- घ) तालाब
- ङ) पंचायत भवन/सामुदायिक भवन
- च) पुनर्वास स्थल के अन्दर सड़क तथा पुनर्वास स्थल से मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए पक्की सड़क

- छ) बिजली
- ज) सुलभ शौचालय
- झ) धार्मिक पूजा स्थल तथा
- ट) प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र
- ठ) अंतिम संस्कार हेतु श्मशानघाट अथवा कब्रगाह

उपर्युक्त सूची सांकेतिक है तथा प्रत्येक स्थल की अपनी विशिष्ट वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर ये सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी।

6.0 भूमि अर्जित किये जाने से विस्थापित परिवारों को देय सुविधाएँ

- 6.1 वैसे विस्थापित परिवार जिनकी भूमि अर्जित होने के कारण कृषि पर आधारित उनकी आजीविका प्रभावित हुई है उन्हें निम्नांकित विकल्पों के माध्यम से पुनर्वासित किया जायेगा।
- क) समूह अथवा व्यक्तिगत आधार पर स्वरोजगार के लिए अनुदान।
 - ख) जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सृजित वर्ग 3 एवं 4 के पदों के विरुद्ध नियुक्ति में अधिमानता।

6.2 स्वरोजगार के लिए अनुदान

- क) सामुहिक अथवा व्यक्तिगत आधार पर स्वरोजगार के माध्यम से भी पुनर्वास की व्यवस्था किया जायेगा।
- ख) प्रति परिवार अनुदान **रु० 2,25,000.00 (रुपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र)** स्वरोजगार के लिए अनुमान्य होगा। इस राशि का उपयोग कृषि भूमि के क्रय एवं विकास हेतु भी किया जा सकेगा।
- ग) जलाशय क्षेत्र के मत्स्य उद्योग एवं पर्यटन उद्योग संबंधी सम्भावनाओं के दोहन में भी विस्थापितों को सम्बद्ध किया जायेगा।
- घ) जलाशय में मत्स्य पालन हेतु नव सृजित जलाधार की बन्दोबस्ती विस्थापितों के समूहों के साथ किया जायेगा जिससे विस्थापित परिवारों के आर्थिक पुनर्वास से इस परिसम्पत्ति को सम्बद्ध किया जा सके।
- ङ) **भूमिहीन विस्थापित परिवार को स्वरोजगार अनुदान के रूप में रु० 1,00,000.00 (रुपये एक लाख मात्र) देय होगा।**

6.3 प्रशिक्षण की व्यवस्था

- क) **परियोजना के माध्यम से वैसे विस्थापित परिवारों जिनकी भूमि एवं आवास अर्जित किए जाने के फलस्वरूप आजीविका प्रभावित हुई है और जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हों, को प्रशिक्षण हेतु सहायता कर उन्हें प्रभावी ढंग से पुनर्वासित किये जाने का प्रयास किया जाएगा। इस निमित्त प्रत्येक विस्थापित को या जो विस्थापित स्वयं**

प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके द्वारा नामित एक आश्रित जो उनके परिवार के सदस्य हों उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणरत या प्रशिक्षण प्राप्त का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्नांकित रूप में देय होगा।

क)	डिग्री/डिपलोमा	—	रु० 2,00,000/—
ख)	आई० टी० आई०	—	रु० 1,00,000/—
ग)	अन्य	—	रु० 75,000/—

ख) परियोजना द्वारा योजना बनाकर विस्थापितों के जीविकोपार्जन हेतु प्रयास की जायेगी। प्रशिक्षण राशि का उपयोग कर सामूहिक प्रशिक्षण की व्यवस्था परियोजना द्वारा की जायेगी, परन्तु जिस विस्थापित द्वारा निजी रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, उन्हें ही उपरोक्त प्रशिक्षण राशि देय होगा।

7.0 जीवन निर्वाह अनुदान

7.1 यदि कोई परिवार उपकंडिका 3.1 (क) एवं 3.1 (ख) दोनों ही दृष्टि से विस्थापित की श्रेणी में आता है तो वैसी परिस्थिति में उन्हें कंडिका 5 एवं कंडिका 6 दोनों में अंकित सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।

7.2 प्रत्येक विस्थापित परिवार को रु० 3,000.00 (रुपये तीन हजार मात्र) प्रति माह का जीवन निर्वाह अनुदान वास्तविक विस्थापन की तिथि से दो वर्ष तक देय होगा।

8.0 पुनर्वास, कार्यों के लिए वित्तीय उपबंध

8.1 पुनर्वास हेतु सम्भावित व्यय को योजना के प्राक्कलन में समाविष्ट किया जायेगा एवं तदनुसार लाभ-लागत अनुपात की गणना की जायेगी।

8.2 पुनर्वास संबंधी सभी कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान परियोजना लागत में सम्मिलित कर परियोजना से ही योजना लागत एवं बजट के बंधेज के अन्तर्गत भुगतान किया जायेगा।

8.3 पुनर्वास योजना अन्तर्गत किये जाने वाले सभी भुगतान चेक/एलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (electronic transfer) द्वारा पति-पत्नी के संयुक्त खाते में किया जायेगा। इसी प्रकार भूमि का परचा अथवा दुकान का आबंटन भी पति-पत्नी के संयुक्त नाम से होगा।

9.0 विस्थापित को जल संसाधन विभाग की वर्ग 3 एवं 4 की नियुक्तियों में छूट

9.1 विस्थापित व्यक्ति को जल संसाधन विभाग की अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की नियुक्तियों में 3 वर्ष आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

9.2 जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के वर्ग-3 एवं 4 के रिक्त पदों पर आवश्यकताओं को देखते हुए आहर्ता रखने वाले विस्थापितों को, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श लेकर नियुक्ति में उच्चतम प्राथमिकता दिया जायेगा।

विस्थापितों की संख्या के सापेक्ष चूँकि सामान्यतः जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं अन्तर्गत उपलब्ध नौकरियों की संख्या बहुत कम होती है अतः सीमित संख्या में ही विस्थापितों को सरकारी नौकरी दी जा सकेंगी।

9.3 *जिन विस्थापित परिवार को विस्थापन के आधार पर सरकारी नौकरी दिया जाता है उन्हें पुनर्वास अन्तर्गत मात्र गृह स्थल आबंटन एवं परिवहन की सुविधा देय होगी (बशर्ते की उनका आवास अर्जित किया गया है) तथा अन्य सभी पुनर्वास संबंधी सुविधा जो उन्हें नियुक्ति के पूर्व दी गई है, उस सुविधा के समतुल्य राशि उनके वेतन से किस्तों में वसूली की जायेगी, जो उनके वेतन के 10% से अधिक नहीं होगी।*

10.0 **ग्राम सभा/पंचायतों गैर सरकारी संगठनों एवं विशेषज्ञों की भूमिका**

10.1 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास कार्यों के सूत्रण/कार्यान्वयन में प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा/पंचायत का भी परामर्श प्राप्त किया जाएगा।

10.2 विस्थापित परिवारों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास कार्य के सूत्रण/कार्यान्वयन में यथा आवश्यकता प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को भी सम्बद्ध किया जाएगा।

11.0 **समन्वय समिति का गठन**

11.1 पुनर्वास कार्य के आयोजन, कार्यान्वयन एवं प्रबोधन के प्रत्येक चरण में विस्थापित परिवारों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायगा। सरकार एवं विस्थापितों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु प्रत्येक सिंचाई परियोजना में एक समन्वय समिति का गठन उपायुक्त (अथवा एक से अधिक जिलों में परियोजना का विस्तार होने पर प्रमंडलीय आयुक्त) की अध्यक्षता में किया जाता है। जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे—

- क) परियोजना पदाधिकारी
- ख) अनुमंडल पदाधिकारी
- ग) पुनर्वास पदाधिकारी
- घ) भू-अर्जन पदाधिकारी
- ङ) भू-सुधार उप समाहर्ता
- च) स्थानीय सांसद/विधायक
- छ) विस्थापित परिवारों के संगठन से संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा चयनित तीन सदस्य
- ज) जिला लीगली एड समिति के सदस्य
- झ) पुनर्वास कार्यों से संबंधित गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि
- त) पुनर्वास कार्य से संबंधित विषय विशेषज्ञ
- थ) प्रभावित क्षेत्र की ग्राम सभा/पंचायत के प्रतिनिधि

11.2 पुनर्वास स्थल पर किये जाने वाले छोटे-छोटे कार्यों को यथा संभव विस्थापितों के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा ताकि विस्थापितों के रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी हो एवं साथ ही साथ पुनर्वास स्थल के कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित किया जा सकें।

11.3 पुनर्वास के क्रम में परियोजना की निधि से बनायी गई परिसम्पत्तियों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित कर दिया जायेगा ताकि परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त भी इनकी संचालन एवं

सम्पोषण की स्थायी व्यवस्था रहे। इन परिसम्पत्तियों के रख-रखाव में विस्थापितों की समिति को भी संबद्ध किया जायेगा।

11.4 पुनवासियों की पहचान से लेकर पुनर्वास कार्य के अन्त तक किसी भी समस्या के समाधान हेतु सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त की अध्यक्षता वाली यह समिति, पूर्ण से प्राधिकृत एवं सक्षम होंगे।

12.0 प्रभाव की तिथि

12.1 यह संकल्प निर्गत के तिथि से लागू समझा जायेगा।

इस संकल्प में वर्णित पुनर्वास सुविधा जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत चालू उन सिंचाई योजनाओं पर भी लागू होगा, जिन में पुनर्वास संबंधित कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। परन्तु जिन विस्थापितों द्वारा पूर्व में पुनर्वास सुविधा के जिन मद का भुगतान नहीं लिया गया है मात्र उन्हीं मदों का भुगतान नई निति के तहत नये दर से भुगतान किया जायेगा।

12.2 देय पुनर्वास पैकेज का भुगतान एक मुस्त किया जायेगा। सभी विस्थापित का बैंक खाता खोला जायेगा एवं सभी भुगतान सीधे बैंक खाते में या A/c Payee चेक/एलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (electronic transfer) के माध्यम से ही किया जायेगा।

12.3 यह निति 31.03.2017 तक प्रभावी रहेगी।

आदेश :- आदेशित किया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त एवं संबंधित पदाधिकारियों को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

lil

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

जल संसाधन विभाग, राँची।

ज्ञापांक:- मु०अ० (मो०)-204/2001/6905

राँची दिनांक :- 01/11/12

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय, मुद्रणालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 प्रतियाँ विभाग को भेजी जाय।

lil

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

राँची दिनांक :- 01/11/12

ज्ञापांक:- मु०अ० (मो०)-204/2001/6905

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/विकास आयुक्त/वित्त आयुक्त/योजना आयुक्त/कृषि आयुक्त/सरकार के सभी विभागों के सचिव/सभी जिलों के उपायुक्त/जल संसाधन विभाग के सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, राँची/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

lil

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव